

आम सभा 16 जुलाई 2017

By Law संशोधन का प्रस्ताव

BASA By Law के कंडिका- 2(ii) (b) में वर्णित है कि The Subscription for life membership shall be Rs. 1000/- (One Thousand) or as decided by the central executive committee from time to time. इसे बढ़ाकर 5000 करने का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिनांक- 22.12.2013 में लिया गया।

दिनांक- 18.12.2016 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई कि "Life time जो Working Member है उन्हें ही Membership देना होता है इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि Life Time Membership सेवानिवृत्त पदाधिकारी, BAS से IAS में प्रोन्नत पदाधिकारी एवं तदोपरान्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी Life time Membership दे सकते हैं। जिन्हें विशेष आयोजन पर आमंत्रित किया जा सके। इसे आगामी आम सभा में पारित कराने पर विचार किया गया।

दिनांक- 13.12.2015 का कंडिका-(4) केन्द्रीय कार्यकारिणी में सेवा निवृत्त संघ के पदधारक या संघ को स्वेच्छ से सेवा देने वाले पदाधिकारी को सम्मानित/संगरक्षक सदस्य के रूप में रखने पर विचार किया गया। आगामी आम सभा में इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

